



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्पलाईन न०-1800890915(टोल फ्री)

Phone & Fax no. 0135-2431159

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 1703 /12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक 18/02/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-08बी०/यूपीसी०पी०/06/132/2021/एफ०सी०/1491, दिनांक 22.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर 04 बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने पत्रांक-2629/12-1 दिनांक 06.02.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय


(धर्म सिंह मीणा)
वन संरक्षक

पत्रांक: 1703/12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


वन संरक्षक
भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।

014



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-2623/12-1, कोटबंगला, दिनांक 06/02/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकोरती।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/132/2021/एफ.सी./1491, दिनांक- 22.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से विषयगत मोटर मार्ग में 04 बिन्दुओं पर आख्या चाही गई थी, जिसकी निराकरण आख्या याचक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र- 161/3एल०ए०, दिनांक- 05.02.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी बिन्दुवार निराकरण आख्या निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Administrative approval uploaded online is of 2014. State Government shall re-validate the same and upload new administrative approval.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश पुनः सत्यापन करवाने का प्राविधान नहीं है, जिस कारण उक्त शासनादेश सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं है।
2	The State Govt. submitted that path distance of village is 1.5 km. Further stated that vertical height is 150-200 meter. However, on perusal of KML file, the height appears to be less than 100 meters. It shall be clarified.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन विभाग तथा प्रयोक्ता विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स क्रमशः 1617 मी० एवं 30°32'48"N, 78°24'04"E पाई गई इसी क्रम में गोरुण गांव के प्रारम्भिक बिन्दु का चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स क्रमशः 1503 मी० एवं 30°32'42"N, 78°23'55"E पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
3	A detailed map showing the location of the village, existing road and the distance between them shall be submitted.	उक्त के अनुपालन में मौजूदा मोटर मार्ग (चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग) एवं गोरुण गांव को प्रदर्शित करती हुई गूगल फोटोग्राफ्स संलग्न है।
4	The user agency shall give detailed presentation giving justification about the proposal road on dt. 27.02.2024 at 3:00 PM in this office.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/132/2021/एफ.सी./1491, दिनांक- 22.02.2024 के माध्यम से दिनांक- 27.02.2024 अपराह्न 3.00 बजे चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में Presentation देने के निर्देश हेतु सूचित किया गया था, किन्तु उक्त सन्दर्भित पत्र इस कार्यालय में दिनांक- 20.09.2024 को विलम्ब से प्राप्त हुआ, जिस कारण Presentation देना सम्भव नहीं हो पाया।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(Handwritten signatures and initials)

भवदीय

(डी०पी० बन्सनी)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, धराशू उप वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
पत्रांक- 607/12-1, कोटबंगला, दिनांक 30/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक-1469/12-1 दिनांक 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा लो०नि०वि० के कर्मचारियों के साथ सम्बन्धित मार्ग का निरीक्षण किया गया। गोरुण गांव के समीपस्थ मोटर मार्ग चिन्यालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग है, उक्त मोटर मार्ग से ही गोरुण गांव तक नया मार्ग प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड शासन के मार्ग निधि के अनुसार सड़क से 100 मी० उर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ माना जायेगा।

उक्त तथ्य का परीक्षण करने के लिये चिन्यालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग पर गोरुण गांव के समीपस्थ बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1617 मी० जी०पी०एस० द्वारा ज्ञात हुई, इसी प्रकार उक्त मोटर मार्ग से गोरुण गांव के समीपस्थ बिन्दु का मौके पर चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1503 मी० जी०पी०एस० द्वारा ज्ञात हुई। जिससे स्पष्ट होता है कि गोरुण गांव की निकटस्थ मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी लगभग 114 मी० है। उक्त दूरी 100 मी० के समीप ही है, जिस कारण यदि दूरी ज्ञात करने के लिये बिन्दुओं का चयन सही प्रकार से नहीं किया जाता है, तो उक्त दूरी ज्ञात करने में असमानता आ सकती है। पूर्व में अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिन्दुओं का चयन कर लिये जाने के कारण उक्त दूरी में परिवर्तन प्रदर्शित हो रहा था। वर्तमान में चयनित किये गये बिन्दुओं को गूगल मैप पर दर्शाकर मैप को रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
धराशू उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।